



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2250]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2017/श्रावण 19, 1939

No. 2250]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2017/SRAVANA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

का.आ. 2566(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

और, तानसा वन्यजीव अभयारण्य, जिला ठाणे महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले के शाहापुर, वाडा और मोखाडा तालुक में 73° 10' 00" से 73° 25' 00" देशांतर और 19° 25' 00" से 19° 50' 00" उ अक्षांश के बीच स्थित है और यह 304.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, तानसा वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*) की महत्वपूर्ण प्रजाति है, इसके अलावा कुछ सबसे लुप्तप्राय प्रजातियां हैं जैसे रस्टी स्पॉटिड बिल्ली, जंगल बिल्ली, छोटा भारतीय मुसंग, सामान्य मुसंग, पिसूरी, भारतीय रॉक

अजगर, चूहा सांप, भारतीय कोबरा, रुसल वाइपर, चेकर्ड किलबक, सामान्य छिपकली आदि भी इस अभयारण्य में पाये जाते हैं;

और, इस क्षेत्र में बहुत ही प्रचुर पुष्प विविधता है और वृहत संख्या में निवास स्थान का संभरण है, ऐन (टर्मिनलिया अल्ता/वार टोमनटोसा), अशी (मोरिंदा पयुबेसकेनस), अम्बा (मनगीफेरीअ इंडिका), अमाती (वाविडिग) (एबेलिया श्जेरियम-काँट्रम), अन्जनी (ममस्लीन अमबल्लातुम), अपता (बयुहीनीअ रेदुसा), अनसा(ब्रिडेलीअ रेदुसा), अर्जुनसाद्दा (टर्मिनलिया अर्जुन), अथरोन (काकार-भेकला) (फलाकोअरटीआ रामोनटची (एसवएएन.फलाकोरटीआ इंडिका), अवाली (पायलियानथस इम्बिलिका), बबुल (अकेसिया नीलोटीका वरइंडिका), बेल (ऐगल मरमेलोस), बकुला (मिमुसोपस इलेनगी), बावा(बावा) (केशिया फिसतुआ), बहेदा (टर्मिनलिया बेल्लेरिका), भेनदी (थेसपेसीअ पोपुलनीअ), भोमा (गलोचीदीओन इल्लीपटीकम), भोकर(सेलुट) (कोरदीया डीचोटोमा), भौर जमभुल (अमेनीअ बेच्चीफेरा), भुटकेस(लावसेत) (मुस्साइदा फरोनदासा), भीटीअ (अल्प और भोटाकसा) (कससीने गलयका), बीबा (सेमकारपुस अनअकारडीअम), बीबला (पटरोकारपुस मससयुपीयम), बोनदारा (लेगरसटराइमीअ परवीफ्लोरा), बोर(जिजिफस जुजुबे) (सयनजिजिफस मयरीटीअना), चामबुली (बयहीनीअ वाहीली), चन्दा,चन्दावा (माकरनगा पलटेटे), चार,चरोली(बुचानिन्हा लनजान), चैरा (इरीनोइकारपुस नीम्मोत्री), चींचा (टमरिडूस इंडिका), धानदोसी (दालोइरगीअ लनकेअओलारीअ), दौवस(दाहीवेल) (कोरदीअ मेसलेवडी), दातीर (फिकस हटेरोपायल्ला), धामन (गरेवी टील्लीअफोला),धावदा (नोगीसीसुस लाटीफोलिअ), दीकेमली (गादेनीअ रेसीनीफेरा), गोल(टरेमा अरीइनटलीस), हैड (अदीना कोरदीफोलीअ), हीरदा (टर्मिनलिया चेबुला), जाम्बा (एक्यलीअ एयलोकारपा), जमबुल (सयजयगीयम चीमीत्री), कदवइ (हयमेनोदीकटयोन ओरिक्इरस), काकाड (गरुगा पीन्नाटा), कोनदाल (सटेरकुलीअ अरेनस), करमबेल (डील्लेनीअ पेटग्याना), करलीलीमबा(कादीलीमा) (यमरया कोइनीगील्ल) आदि भी इस अभयारण्य में पाये जाते हैं;

और, इस क्षेत्र में कुछ पक्षी-जीव जैसे छोटा ग्रेबे, जलकाग, भारतीय शाग, छोटा जलकाग, डर्टर, तालाब बगुला, मवेशी सफेद बगुला, बड़ा सफेद बगुला, छोटा सफेद बगुला, नाइट बगुला, चेस्टनट बितन, पेंटिड स्टोर्क, ओपनबिल स्टोर्क, वाइटनेकड स्टोर्क, ब्लैकनेकड स्टोर्क, ब्लैक ईबिस, ग्लोसी ईबिस, स्पूनबिल, लेसेर फ्लमींगो, लेसेर विसलिंग टील, पीनटैल, सामान्य टील, स्पॉटबिल बत्तख, मल्लारेड, गडवल, विजियन, ग्रगने, शोवेल्लर, सामान्य पोचार्ड, वाइट-आई पोचार्ड, कॉटन टील, कॉम्ब बत्तख, ब्लैकविंगड चील, काली चील, ब्लैकइरड चील, ब्राह्मणी चील, शिकरा, छोटा बाज़, वाइट-आई बज़र्ड ईगल, बोनल्ली ईगल, पूर्वी स्टेप्पे ईगल, तवने ईगल, पल्ला फिशिंग ईगल, भारतीय लौंगब्लिड गिद्ध, भारतीय वाइटब्लैड गिद्ध, मार्स हरेर्यिर, मोंटागु हरेर्यिर, पले हरेर्यिर, करेस्टिड सेरपेंट ईगल, पेरेग्रीने फ्लेकॉन, आदि पाए जाते हैं;

और, पारिस्थितिक, पर्यावरणीय और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में तानसा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के विस्तार और सीमाओं के क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में तानसा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 600 मीटर से 9.5 किलोमीटर तानसा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला में 625.30 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत वन क्षेत्र का 303.25 वर्ग किलोमीटर और गैर वन क्षेत्र का 322.046 वर्ग किलोमीटर 145 ग्रामों सहित आच्छादित है। तानसा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पारिस्थितिक संवेदी जोन से 600 मीटर से 9.5 तक विस्तृत है। ठाणे जिले के विकास खण्डों जिसमें तानसा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन में शाहपुर, भीवंदी, वादा और मोखादा सम्मिलित है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का पूर्वी भाग शाहपुर वन प्रभाग, दक्षिणी भाग का ठाणे प्रभाग और पश्चिमी और उत्तरी भागों का जवहर प्रभाग के वन और निजी क्षेत्र सीमांकित है। पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-I क** और **उपाबंध-I ख** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित तहसील वार क्षेत्र नीचे दिए गए हैं :

तहसील का नाम	पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र
शाहपुर	328.775 वर्ग किलोमीटर
भीवंदी	36.953 वर्ग किलोमीटर
मोखादा	53.407 वर्ग किलोमीटर
वादा	206.165 वर्ग किलोमीटर
कुल	625.300 वर्ग किलोमीटर

(5) तानसा पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी। आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संबंधी बातों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि ;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिक;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ; और
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्को और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यंकन करेगी। आंचलिक महायोजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीविका सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में कार्यों को मॉनीटर करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार अंतिम अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :- जैसे:-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अन्तर्गत भूमिगत जल संचयन भी है;

(iii) होटल और लॉज के मौजूदा परिसर की बाड़ लगाना;

(iv) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(v) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन इस उप पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने और प्राकृतिक वास क्रियाकलापों के पुनःस्थापन के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिक-पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा ।

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्न प्रकार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार 1 किलोमीटर से परे केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा-संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) नैसर्गिक विरासत- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना उनके परिरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी ।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके परिसंरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग रूप में तैयार की जाएगी ।

(6) ध्वनि प्रदूषण – पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 और उसके संशोधनों के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन बनाए गए नियमों और उसके किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हों, के अधीन पर्यावरणीय प्रदूषकों का निस्सारण साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भराई का स्थापन अनुज्ञात नहीं होगा ;

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना सा.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित के अनुसार किया जाएगा।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित के अनुसार किया जाएगा।

(13) **इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट**:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रकाशित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राकृतिक वास के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशिष्ट उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं कर दी जाती है तब तक मानीटरी समिति संबंधित अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण**:- यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अनुपालन किया जाएगा। लागू विधियों के अनुसार स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए किए गए प्रयास किए जाएं।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**: - (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या इसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषण करने वाले उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ख) जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योग के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषण कारित उद्योग अनुज्ञात होंगे।

(17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्न रूप में होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(ख) कोई नया संनिर्माण विद्यमान पहाड़ी ढलानों या उच्चडिग्री वाले अपरदन ढलानों पर कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित और संवर्धित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - तानसा वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र में सभी क्रियाकलापों को सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के अधिनियम 53 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगी) और पारिस्थितिक संवेदी जोन के अधीन क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई नया उद्योग या प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषण कारित उद्योग अनुज्ञात होंगे।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण प्रसुविधा स्थापना।	इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रसंस्करण और स्वास्थ्य स्थापना अस्पतालों आदि से व्युत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्ति भस्मीकरण सुविधा की स्थापना प्रतिषिद्ध है।
7.	फर्मी, कॉरपोरेट कंपनियों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (यथा-अन्यथा उपबंधित के सिवाय) स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होंगे।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

विनियमित क्रियाकलाप

11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	<p>पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, कोई वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे :</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से परे या एक किलोमीटर तक पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार, पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।</p>
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन को विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा:</p> <p>परंतु, स्थानीय लोगों को जिसके अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाकलाप है पैरा 3 के उप पैरा (1) में उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार अनुज्ञात होगी, जैसे:-</p> <p>(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;</p> <p>(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;</p> <p>(iii) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक हैं जिसके अन्तर्गत ग्रह वास भी है; और</p> <p>(iv) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :</p> <p>(ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों श्वेत प्रवर्ग रूप में है जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप</p>

		विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग श्वेत प्रवर्ग के रूप में अभिहित और अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं जिसके अन्तर्गत बुनियादी ढांचे भी है।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों, उपलब्ध और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपाय किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों, उपलब्ध और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपाय किए जाएंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे। जिला कलेक्टर/जिला स्तरीय जैव विविधता प्रबंधन समिति की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुशंसित मछली पालन व्यवसाय अनुज्ञात किया जा सकेगा। स्थानीय ग्रामों को प्राथमिकता दी जाएगी।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिः स्त्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिः स्त्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश का बचाव किया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिः स्त्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

24.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत निष्कर्षण की मात्रा भी है। (ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी जानी चाहिए।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	यानीय उत्सर्जन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन का उपयोग।	जैव गैस, सौर प्रकाश सीएनजी, एलपीजी, आदि को बढ़ावा देना होगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों का क्रियान्वयन प्रभावी होगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- | | | |
|-----|---|-----------|
| (क) | आयुक्त, कोंकण राजस्व प्रभाग | -अध्यक्ष; |
| (ख) | पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (ग) | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार का प्रतिनिधि | सदस्य; |

(घ)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ङ)	खान विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(च)	उद्योग विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(छ)	राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ज)	सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(झ)	लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ञ)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि	सदस्य;
(ट)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबई	सदस्य;
(ठ)	क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार	सदस्य;
(ड)	जैव-विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ढ)	उप वन संरक्षक, शाहपुर प्रभाग, ठाणे	सदस्य सचिव।

6. निर्देश और निबंधन (1) निगरानी समिति की शक्तियां और कार्यों को इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन के लिए निर्बंधित किया जाएगा।

(2) पूर्व अनुज्ञा की अपेक्षा करने वाले मामलों में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 तारीख 14 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मानीटरी समिति ऐसे मामलों को, इस अधिसूचना के अधीन गठित राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी, को निर्दिष्ट करेगी, जो इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार अनापत्ति प्रदान करेगी ।

(3) मानीटरी समिति, मुद्दा दर मुद्दा आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, संगमों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(4) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या संयोजक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक अपने क्रियाकलापों की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट तक प्रस्तुत करेगी ।


(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर निर्देश देगा ।

[फा. सं. 25/41/2016-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'


उपाबंध - 1क

पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ तानसा वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र का मानचित्र



उपाबंध-ख

पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ तानसा वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र का मानचित्र



उपाबंध II

तानसा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक		
क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
1	19° 26' 31.47" उ	73° 10' 59.55" पू
2	19° 29' 07.17" उ	73° 08' 46.00" पू
3	19° 32' 23.51" उ	73° 07' 20.65" पू
4	19° 33' 24.88" उ	73° 05' 55.45" पू
5	19° 37' 27.85" उ	73° 08' 58.51" पू
6	19° 42' 58.47" उ	73° 09' 04.80" पू
7	19° 46' 35.32" उ	73° 11' 46.16" पू
8	19° 48' 14.83" उ	73° 17' 51.57" पू
9	19° 45' 27.02" उ	73° 21' 14.29" पू
10	19° 45' 36.23" उ	73° 23' 24.83" पू
11	19° 44' 14.04" उ	73° 24' 56.56" पू
12	19° 42' 36.51" उ	73° 26' 58.60" पू
13	19° 39' 40.50" उ	73° 26' 51.40" पू
14	19° 36' 42.30" उ	73° 24' 27.20" पू
15	19° 31' 05.67" उ	73° 21' 05.77" पू
16	19° 29' 10.96" उ	73° 22' 53.46" पू
17	19° 28' 07.06" उ	73° 20' 10.80" पू
18	19° 25' 59.30" उ	73° 14' 48.90" पू

तानसा वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक		
क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
ए	19° 31' 01.89" उ	73° 10' 29.48" पू
बी	19° 37' 07.32" उ	73° 09' 41.31" पू
सी	19° 37' 08.54" उ	73° 09' 40.90" पू
डी	19° 47' 47.52" उ	73° 18' 18.24" पू
ई	19° 44' 50.11" उ	73° 24' 17.08" पू
एफ	19° 35' 58.78" उ	73° 21' 42.20" पू
जी	19° 25' 34.19" उ	73° 17' 18.44" पू

उपाबंध III

तानसा वन्यजीव अभयारण्य के पारस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची

क्र.सं	प्रभाग	तालुका	ग्राम	जी.पी.एस निर्देशांक	
				अक्षांश	देशांतर
1		2	3	4	5
1	शाहपुर	शाहपुर	ताहरपुर	19°32'49.89" उ	73°13'41.16" पू
2	शाहपुर	शाहपुर	खोसते	19°31'39.42" उ	73°14'11.35" पू
3	शाहपुर	शाहपुर	वेदावाहल	19°31'59.33" उ	73°12'19.98" पू
4	शाहपुर	शाहपुर	वेहेलोनदा	19°31'37.98" उ	73°11'24.61" पू
5	शाहपुर	शाहपुर	सवरोली खा.	19°31'55.04" उ	73°10'41.11" पू
6	शाहपुर	शाहपुर	दीमभा	19°32'34.34" उ	73°12'12.41" पू
7	शाहपुर	शाहपुर	अघाई	19°33'53.65" उ	73°14'17.51" पू
8	शाहपुर	शाहपुर	ववेघर	19°32'55.78" उ	73°15'33.38" पू
9	शाहपुर	शाहपुर	वाधीवाली	19°34'09.42" उ	73°12'49.23" पू
10	शाहपुर	शाहपुर	भावेस	19°32'28.47" उ	73°14'46.65" पू
11	शाहपुर	शाहपुर	नेवरे	19°33'38.73" उ	73°13'27.98" पू
12	शाहपुर	शाहपुर	खौर	19°30'17.87" उ	73°14'05.77" पू
13	शाहपुर	भीवंदी	नेवादे पट	19°28'06.63" उ	73°11'55.38"E
14	शाहपुर	शाहपुर	कोशहीमबादे	19°29'39.10" उ	73°11'27.73" पू
15	शाहपुर	शाहपुर	भोरांदे	19°29'38.50" उ	73°13'40.41" पू
16	शाहपुर	शाहपुर	पीवाली	19°29'42.36" उ	73°12'32.65" पू
17	शाहपुर	शाहपुर	वनदरा	19°28'57.77" उ	73°12'53.58" पू
18	शाहपुर	शाहपुर	माहली	19°28'18.30" उ	73°16'07.27" पू
19	शाहपुर	शाहपुर	कटबाव पीटी.	19°26'11.82" उ	73°14'49.97" पू
20	शाहपुर	शाहपुर	दाहगोन पीटी.	19°25'22.98" उ	73°15'29.67" पू
21	शाहपुर	शाहपुर	खाटीवाली पीटी.	19°24'49.00" उ	73°16'36.83" पू
22	शाहपुर	शाहपुर	वेहेलोली तरफ अगाई पीटी.	19°24'49.83" उ	73°17'43.75" पू
23	शाहपुर	शाहपुर	वालसेट पीटी.	19°25'24.98" उ	73°18'24.07" पू
24	शाहपुर	शाहपुर	असनगांव पीटी.	19°26'30.38" उ	73°18'24.10" पू
25	शाहपुर	शाहपुर	सावरोली पीटी.	19°27'23.03" उ	73°18'17.06" पू
26	शाहपुर	शाहपुर	शाहपुर पीटी.	19°27'08.23" उ	73°14'34.31" पू
27	शाहपुर	शाहपुर	अवले	19°27'38.00" उ	73°17'00.03" पू

28	शाहपुर	शाहपुर	चन्द्रोटी	19°28'39.53" उ	73°17'12.76" पू
29	शाहपुर	शाहपुर	कारादे	19°28'26.16" उ	73°17'34.30" पू
30	शाहपुर	शाहपुर	चेरपोली पीटी.	19°27'51.27" उ	73°20'06.76" पू
31	शाहपुर	शाहपुर	कमबारे पीटी.	19°34'19.30" उ	73°11'10.09" पू
32	शाहपुर	शाहपुर	अवारे पीटी.	19°28'29.86" उ	73°20'41.10" पू
33	शाहपुर	शाहपुर	खारीवाली तरफ अगाही पीटी.	19°27'33.03" उ	73°21'58.73" पू
34	शाहपुर	शाहपुर	अरजुनाली पीटी.	19°28'33.26" उ	73°22'50.45" पू
35	शाहपुर	शाहपुर	सरालामबे पीटी.	19°28'35.58" उ	73°23'07.42" पू
36	शाहपुर	शाहपुर	पेनधाराघोल पीटी.	19°29'45.48" उ	73°20'07.82" पू
37	शाहपुर	शाहपुर	पुनधे पीटी.	19°29'28.30" उ	73°19'35.46" पू
38	शाहपुर	शाहपुर	अतगाँव पीटी.	19°30'14.88" उ	73°19'28.02" पू
39	शाहपुर	शाहपुर	सखरोली पीटी.	19°31'13.71" उ	73°19'13.71" पू
40	शाहपुर	शाहपुर	कनवीनदे पीटी.	19°31'47.30" उ	73°19'49.46" पू
41	शाहपुर	शाहपुर	पेनधारी	19°32'27.50" उ	73°19'29.56" पू
42	शाहपुर	शाहपुर	ममनोली	19°28'39.93" उ	73°17'56.04" पू
43	शाहपुर	शाहपुर	मोहीली	19°33'12.34" उ	73°14'29.38" पू
44	शाहपुर	शाहपुर	नंदगाँव तरफ अगाही	19°32'23.91" उ	73°18'34.29" पू
45	शाहपुर	शाहपुर	कालामगाँव पीटी.	19°32'08.66" उ	73°20'20.13" पू
46	शाहपुर	शाहपुर	लाहे पीटी.	19°33'21.39" उ	73°21'35.51" पू
47	शाहपुर	शाहपुर	उमबेरखंड	19°34'06.80" उ	73°22'00.30" पू
48	शाहपुर	शाहपुर	खारदी पीटी.	19°35'16.61" उ	73°22'58.35" पू
49	शाहपुर	शाहपुर	घानेपादा	19°35'31.55" उ	73°22'20.25" पू
50	शाहपुर	शाहपुर	पीमपालपाडा पीटी.	19°36'07.36" उ	73°22'55.85" पू
51	शाहपुर	शाहपुर	अमबीवाली तरफ सकुरली	19°38'44.73" उ	73°19'12.27" पू
52	शाहपुर	शाहपुर	बेलवाद	19°38'53.15" उ	73°17'08.25" पू
53	शाहपुर	शाहपुर	बेनदेकोन	19°36'12.42" उ	73°21'44.28" पू
54	शाहपुर	शाहपुर	पालशीन	19°36'17.76" उ	73°21'13.03" पू
55	शाहपुर	शाहपुर	दुधार	19°35'48.17" उ	73°22'20.04" पू
56	शाहपुर	शाहपुर	दाहीगाँव	19°36'38.51" उ	73°20'35.43" पू
57	शाहपुर	शाहपुर	टेमभे	19°39'26.87" उ	73°15'54.59" पू
58	शाहपुर	शाहपुर	वारसकोल पीटी.	19°36'13.98" उ	73°23'10.75" पू

59	शाहपुर	शाहपुर	शीरोल पीटी.	19°37'58.34" उ	73°24'45.49" पू
60	शाहपुर	शाहपुर	दापुर	19°40'12.04" उ	73°23'22.52" पू
61	शाहपुर	शाहपुर	अजनुप पीटी.	19°39'06.23" उ	73°22'30.92" पू
62	शाहपुर	शाहपुर	माल पीटी.	19°41'32.20" उ	73°27'33.03"E
63	शाहपुर	मोखादा	खासहाटी	19°43'36.44" उ	73°23'06.48" पू
64	शाहपुर	शाहपुर	कोचाले पीटी.	19°43'40.10" उ	73°25'49.29" पू
65	शाहपुर	शाहपुर	कीनीसटा पीटी.	19°44'10.89" उ	73°25'04.91" पू
66	शाहपुर	मोखादा	उदाले पीटी.	19°45'11.78" उ	73°24'36.64" पू
67	शाहपुर	शाहपुर	सवरदा	19°42'00.17" उ	73°22'28.91" पू
68	शाहपुर	शाहपुर	वासहीन्द	19°45'33.95" उ	73°22'41.38" पू
69	शाहपुर	शाहपुर	गोमघर पीटी.	19°46'00.99" उ	73°21'56.61" पू
70	शाहपुर	शाहपुर	सुरयामाल	19°45'28.27" उ	73°20'48.68" पू
71	जवहर	वाडा	खुपारी	19°34'18.56" उ	73°06'32.76" पू
72	शाहपुर	शाहपुर	लखमपुर	19°35'29.26" उ	73°06'17.53" पू
73	शाहपुर	शाहपुर	नेहरोली	19°36'07.41" उ	73°07'10.60" पू
74	शाहपुर	शाहपुर	उसर	19°31'30.54" उ	73°07'13.15" पू
75	शाहपुर	शाहपुर	खुदुस	19°32'07.09" उ	73° 05'59.07" पू
76	शाहपुर	शाहपुर	क्यालु	19°33'18.71" उ	73°11'32.10" पू
77	शाहपुर	शाहपुर	चीनदेवाली	19°34'13.32" उ	73°11'46.64" पू
78	शाहपुर	शाहपुर	अबीटघर	19°35'04.62" उ	73°10'05.67" पू
79	शाहपुर	शाहपुर	कमबारे	19°34'19.02" उ	73°11'09.84" पू
80	शाहपुर	शाहपुर	गोलेघर	19°36'06.45" उ	73°08'54.13" पू
81	शाहपुर	शाहपुर	चीखाले	19°36'11.26" उ	73°07'45.81" पू
82	शाहपुर	शाहपुर	कोने	19°37'08.33" उ	73°08'08.12" पू
83	शाहपुर	शाहपुर	खारीवाली	19°33'24.80" उ	73°05'24.70" पू
84	शाहपुर	शाहपुर	हरोसले	19°40'20.73" उ	73°09'41.41" पू
85	शाहपुर	शाहपुर	तुसे	19°37'43.86" उ	73°09'45.38" पू
86	शाहपुर	शाहपुर	वीलकोस	19°38'33.70" उ	73°10'53.78" पू
87	शाहपुर	शाहपुर	पीमपरोली	19°38'15.34" उ	73°10'53.78" पू
88	शाहपुर	शाहपुर	वारइ खु	19°37'31.49" उ	73°12'28.64" पू
89	शाहपुर	शाहपुर	वारइ बु.	19°38'32.29" उ	73°11'48.78" पू
90	शाहपुर	शाहपुर	बिलघर	19°38'10.01" उ	73°13'24.60" पू

91	शाहपुर	शाहपुर	देवगाँव	19°33'40.70" उ	73°08'18.63" पू
92	शाहपुर	शाहपुर	कसघर	19°39'43.19" उ	73°12'13.17" पू
93	शाहपुर	शाहपुर	सोनशिव	19°40'06.46" उ	73°11'15.33" पू
94	शाहपुर	शाहपुर	मनदवा	19°42'00.50" उ	73°12'34.13" पू
95	शाहपुर	शाहपुर	मोज	19°38'03.88" उ	73°12'52.78" पू
96	शाहपुर	शाहपुर	सावरखंड	19°36'15.38" उ	73°09'03.31" पू
97	शाहपुर	शाहपुर	सपरोनदे	19°31'43.04" उ	73°06'36.17" पू
98	शाहपुर	शाहपुर	बवली	19°34'39.19" उ	73°09'25.79" पू
99	शाहपुर	शाहपुर	सीरसदा	19°39'20.80" उ	73°12'01.19" पू
100	शाहपुर	शाहपुर	दाहे	19°41'05.11" उ	73°10'32.79" पू
101	जावर	वाडा	टीलगाँव	19°33'40.61" उ	73°09'29.45" पू
102	शाहपुर	शाहपुर	गले	19°39'25.80" उ	73°09'51.79" पू
103	शाहपुर	शाहपुर	सरसही	19°37'40.86" उ	73°09'16.24" पू
104	शाहपुर	शाहपुर	तीलसे	19°39'04.60" उ	73°12'36.48" पू
105	शाहपुर	शाहपुर	सोनाले बक	19°38'33.13" उ	73°13'54.66" पू
106	शाहपुर	शाहपुर	सोनाले ख	19°38'59.30" उ	73°14'05.98" पू
107	शाहपुर	शाहपुर	को. सरोवर	19°40'58.15" उ	73°14'43.00" पू
108	शाहपुर	शाहपुर	शेला	19°40'21.63" उ	73°13'44.31" पू
109	शाहपुर	शाहपुर	धापद	19°40'29.15" उ	73°13'04.83" पू
110	शाहपुर	शाहपुर	डी.कुमबीसते	19°42'13.50" उ	73° 10'53.93" पू
111	शाहपुर	शाहपुर	मानीवाली	19°42'23.52" उ	73° 9'7.02" पू
112	शाहपुर	शाहपुर	कालामभे	19°39'36.21" उ	73° 15'01.14" पू
113	शाहपुर	शाहपुर	केवनाले	19°47'58.32" उ	73°16'57.48" पू
114	शाहपुर	शाहपुर	अखडा	19°47'58.32" उ	73°16'57.48" पू
115	शाहपुर	शाहपुर	वादावली	19°48'30.02" उ	73°16'14.84" पू
116	शाहपुर	शाहपुर	उज्जैनी	19°47'13.51" उ	73°15'02.17" पू
117	शाहपुर	शाहपुर	वीरहे	19°40'29.15" उ	73°13'04.83" पू
118	शाहपुर	शाहपुर	पीनजल	19°46'12.90" उ	73°11'38.43" पू
119	शाहपुर	शाहपुर	मनगरोल	19°45'23.19" उ	73°13'45.68" पू
120	शाहपुर	शाहपुर	धाधारा	19°40'4.81" उ	73°15'14.97" पू
121	शाहपुर	शाहपुर	नीसहेट	19°39'32.25" उ	73°15'41.25" पू
122	शाहपुर	शाहपुर	गरगाँव	19°44'49.68" उ	73°12'25.22" पू

123	शाहपुर	शाहपुर	पीक	19°43'56.61" उ	73°09'57.09" पू
124	शाहपुर	शाहपुर	पराली	19°42'35.28" उ	73°15'37.57" पू
125	शाहपुर	शाहपुर	शीलोट्टर	19°44'14.75" उ	73°10'47.75" पू
126	शाहपुर	शाहपुर	वरसाले	19°45'38.33" उ	73°14'6.10" पू
127	शाहपुर	शाहपुर	पसते	19°43'30.13" उ	73°09'01.20" पू
128	शाहपुर	शाहपुर	ससने	19°43'00.00" उ	73°08'10.04" पू
129	शाहपुर	मोखादा	बोतोसी	19°48'29.27" उ	73°23'51.26" पू
130	शाहपुर	शाहपुर	खुरलोद	19°48'42.49" उ	73°23'29.69" पू
131	ठाणे	भीवंदी	वापे	19° 29' 22.79"	73° 10' 26.52"
132	शाहपुर	शाहपुर	घोटेवदे	19° 28' 51.59"	73° 10' 04.84"
133	शाहपुर	शाहपुर	चीचवाली	19° 29' 13.30"	73° 08' 42.16"
134	शाहपुर	शाहपुर	मइनदे	19° 28' 51.68"	73° 10' 05.17"
135	शाहपुर	शाहपुर	केलहे	19° 27' 34.59"	73° 12' 15.40"
136	ठाणे	भीवंदी	खनीवाली	19° 25' 18.81"	73° 13' 17.40"
137	शाहपुर	शाहपुर	सगाँव	19° 30' 52.04"	73° 08' 59.21"
138	शाहपुर	शाहपुर	इकसाल	19° 30' 27.46"	73° 08' 17.38"
139	शाहपुर	शाहपुर	देवचोले	19° 30' 40.71"	73° 10' 01.78"
140	शाहपुर	शाहपुर	कुनदे	19° 28' 49.28"	73° 07' 06.40"
141	शाहपुर	शाहपुर	करमाले	19° 27' 55.42"	73° 08' 01.05"
142	शाहपुर	शाहपुर	बसे	19° 27' 51.23"	73° 09' 05.60"
143	शाहपुर	शाहपुर	नेवादे	19° 27' 22.08"	73° 12' 02.73"
144	शाहपुर	शाहपुर	पाछापु	19° 27' 44.17"	73° 10' 26.20"
145	शाहपुर	शाहपुर	मोहनदूले	19° 25' 15.75"	73° 11' 42.06"

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश। कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIORNMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2017

S.O. 2566(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at eszmef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Tansa Wildlife Sanctuary, District Thane lies between Longitudes 73° 10' 00" to 73° 25' 00" N and Latitudes 19° 25' 00" to 19° 50' 00" in Shahapur, Wada and Mokhada taluka of Thane district of Maharashtra State and extends over an area of 304.81 square kilometers;

AND WHEREAS, the leopard (*panther pardus*) is the species of vital importance in Tansa Wildlife sanctuary, besides some of the most endangered species like Rusty-Spotted Cat, Jungle Cat, Small Indian Civet, Common Palm Civet, Mouse deer, Indian Rock Python, Rat Snake, Indian Cobra, Russel's Viper, Checkered keelback, Common monitor, etc., are also found in this Sanctuary;

AND WHEREAS, the area has a very high floral diversity and supports large number of habitat Ains (*Terminalia alata*/*var-tomentosa*), Ashi (*Morinda pubescens*), Amba (*Mangifera indica*), amati (Wavding) (*Embelia tsjeriam-cottam*), Anjani (*Memecylon umbellatum*), Apta (*Bauhinia retusa*), Asna (*Bridelia retusa*), Arjunsadada (*Terminalia arjuna*), Athroon (Kakar-Bhekal) (*Flacourtia ramontchi* (*Syn.flacourtia indica*)), Avali (*Phyllanthus emblica*), Babul (*Acacia nilotica varindica*), Bel (*Aegle marmelos*), Bakula (*Mimusops elengi*), Bava (Bhava) (*Cassia fistula*), Beheda (*Terminalia bellirica*), Bhendi (*Thespesia populnea*), Bhoma (*Glochidion ellipticum*), Bhokar (Shelute) (*Cordia Dichotoma*), Bhor Jambhul (*Ameania baccifera*), Bhutkesh (Lawset) (*Mussaenda frondosa*), Bhitia (Alan or Bhutaksha) (*Cassine glauca*), Biba (*Semecarpus anacardium*), Bibla (*Pterocarpus marsupium*), Bondara (*Lagerstroemia parviflora*), Bor (*Ziziphus jujube*) (*Synziziphus mauritiana*), Chambuli (*Bauhinia vahili*), Chanda, Chandva (*Macaranga peltate*), Char, Charoli (*Buchanania lanzan*), Chera (*Erinoicarpus nimmonii*), Chinch (*Tamarindus indica*), Dandoshi (*Daloergia lanceolaria*), Daowas (Dahivel) (*Cordia macleodii*), Datir (*Ficus heterophylla*), Dhaman (*Grewia tilliaefolia*), Dhavada (*Anogeissus latifolia*), Dikemali (*Gardenia resinifera*), Gol (*Trema orientalis*), Hed (*Adina cordifolia*), Hirda (*Terminalia chebula*), Jamba (*Xylocarpa*), Jambul (*Syzygium ciminii*), Kadvai (*Hymenodictyon orixense*), Kakad

(*Garuga pinnata*), Kondal (*Sterculia Urens*), Karambel (*Dillenia Pentagyna*), Karlilimb(Kadilimb) (*Murraya koenigill*) are also found in this Sanctuary;

AND WHEREAS, the area has found some avi-faunal Little Grebe, Cormorant, Indian Shag, Little Cormorant, Darter, Pond Heron, Cattle Egret, Large Egret, Little Egret, Night Heron, Chestout Bittern, Painted Stork, Openbill Stork, Whitencked Stork, Blacknecked Stork, Black Ibis, Glossy Ibis, Spoonbill, Lesser Flamingo, Lesser Whistling Teal, Pintail, Common Teal, Spotbill Duck, Mallared, Gadwal, Wigeon, Garganey, Shoveller, Common Pochard, White-Eyed Pochard, Cotton Teal, Comb Duck, Blackwinged Kite, Black Kite, Blackeared Kite, Brahminy Kite, Shikra, Sparrowhawk, White-eye buzzard Eagle, Bonelli's Eagle, Eastern Steppe Eagle, Tawny Eagle, Palla's Fishing Eagle, Indian Longbilled Vulture, Indian Whitebacked Vulture, Marsh Harrier, Montagu's Harrier, Pale Harrier, Crested Serpent Eagle, Peregrine Falcon, etc.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of Tansa Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with and clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the extent ranging between 600m - 9.5 Km from the boundary of the protected area of the Tansa Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely:-

1.Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The said Eco-sensitive Zone would cover an area of 625.30 Sq.Km. in Thane District of Maharashtra State consisting of Forest area of 303.25 sq km and non-forest area of 322.046 sq km including 145 villages. The Eco-sensitive zone extends from 600m to 9.5 km from the boundary of Tansa Wild life Sanctuary. The development blocks of District Thane which were included in ESZ around Tansa Wildlife Sanctuary are Shahapur, Bhiwandi, Wada and Mokhada.

(2) The list of geo co- ordinates of the Eco Sensitive Zone is appended as **Annexure-II**.

(3) Eco-sensitive Zone is bounded by the forests and private area of Shahapur Forest Division on Eastern side, by Thane Division on Southern side and Jawhar Division on Western and Northern sides. The map of the Sanctuary along with the proposed Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I-A and Annexure I-B**.

(4) the Tehsil wise area included in proposed Eco-sensitive Zone is as given under:

Name of Tahsil	Area of Eco-Sensitive Zone
Shahapur	328.775 sq.km.
Bhiwandi	36.953 sq.km.
Mokhada	53.407 sq.km.
Wada	206.165 sq.km
Total	625.300 Sq.km.

(5)The list of the villages falling within the Tansa Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Tansa Eco-sensitive Zone. – (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for consideration and approval of the Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any. The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Maharashtra State Pollution Control Board; and.
- (xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring vide the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities. Such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps.

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco Friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) Commercial water resources including ground water harvesting;
- (iii) Fencing of existing premises of hotels and lodges;
- (iv) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (v) Small scale industries not causing pollution;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone (beyond 1 kilometre) shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man- made Heritage Sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise Pollution.**- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air Pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of Effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid Wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(b) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(c) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio Medical Wastes.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Electronic Waste.-** The Electronic Waste (E-Waste) Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular Traffic.-** The vehicular traffic movement shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification.

(17) **Protection of Hill Slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Tansa Wildlife Sanctuary, Maharashtra are being governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Act 53 of 1972 and rules framed thereunder) and activities within the ESZ shall be governed under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activities	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, Stone Quarrying and Crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
10.	Use of polythene bags.	Prohibited under applicable laws.
Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive

		<p>zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
12.	Construction activities	<p>No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <p>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</p> <p>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) Cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and</p> <p>(iv) Promoted activities listed in this Notification.</p> <p>(b) Provided further that the construction activity related to small scale industries termed as White Category, not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Provided also that beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
13.	Small scale non polluting industries.	<p>Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.</p>
14.	Felling of Trees	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable laws Underground cabling may be promoted.

17.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals. Fishing practices may be permitted as recommended by committee headed by District Collector / District Level Biodiversity Management Committee. Priority may be given to local villages.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water	a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bona fide agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism activities	Regulated under applicable laws.
29.	Vehicular Emissions	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial use of firewood.	Regulated as per applicable laws.
Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and clean fuels.	Bio gas, solar light, CNG, LPG etc. to be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.

37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

Implementation of prohibited activities shall come into effect from date of publication of Notification.

5. Monitoring Committee. The Central Government hereby constitutes a committee to be called the Monitoring Committee, monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall consist of the following members, namely:-

- (a) the Commissioner of Konkan Revenue Division – Chairman;
- (b) a representative of the Ministry of Environment and Forests, Government of India – Member;
- (c) a representative of the Central Pollution Control Board, Government of India – Member;
- (d) a representative of the Chief Wildlife Warden Government of Maharashtra – Member;
- (e) a representative of the Department of Mines, Government of Maharashtra – Member;
- (f) a representative of the Department of Industries, Government of Maharashtra – Member;
- (g) a representative of the Department of Revenue, Government of Maharashtra – Member;
- (h) a representative of the Department of Irrigation, Government of Maharashtra – Member;
- (i) a representative of the Department of Public Works, Government of Maharashtra – Member;
- (j) two representatives of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India – Member;
- (k) the Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Mumbai – Member;
- (l) the Senior Town Planner of the area – Member;
- (m) Representative of Biodiversity Board, - Member
- (n) The Deputy Conservator of Forest, Shahapur Division, Thane – Convener.

6. Terms and References:(1)The powers and functions of the Monitoring Committee shall be restricted to the compliance of the provisions of this notification.

(1) In case of activities requiring prior permission, under the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the Monitoring Committee shall refer such matters to the State Level Environment Impact Assessment Authority constituted under that notification which shall grant the clearances in accordance with the provisions of the said notification.

(3) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments or associations to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(4) The Chairman or the Conveyor of the Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.


(6) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the Monitoring Committee for effective discharge of the functions of the Monitoring Committee.

[F. No. 25/41/2016-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'


Annexure I-A

Map of Tansa Wildlife Sanctuary, Maharashtra along with the Proposed Eco-Sensitive Zone



Annexure I-B

Map of Tansa Wildlife Sanctuary, Maharashtra along with the Proposed Eco-Sensitive Zone



Annexure II**Geo Co-ordinates of Eco Sensitive Zone of Tansa Wildlife Sanctuary**

Co-ordinate of Proposed ESZ		
S. N.	Latitude	Longitude
1	19° 26' 31.47" N	73° 10' 59.55" E
2	19° 29' 07.17" N	73° 08' 46.00" E
3	19° 32' 23.51" N	73° 07' 20.65" E
4	19° 33' 24.88" N	73° 05' 55.45" E
5	19° 37' 27.85" N	73° 08' 58.51" E
6	19° 42' 58.47" N	73° 09' 04.80" E
7	19° 46' 35.32" N	73° 11' 46.16" E
8	19° 48' 14.83" N	73° 17' 51.57" E
9	19° 45' 27.02" N	73° 21' 14.29" E
10	19° 45' 36.23" N	73° 23' 24.83" E
11	19° 44' 14.04" N	73° 24' 56.56" E
12	19° 42' 36.51" N	73° 26' 58.60" E
13	19° 39' 40.50" N	73° 26' 51.40" E
14	19° 36' 42.30" N	73° 24' 27.20" E
15	19° 31' 05.67" N	73° 21' 05.77" E
16	19° 29' 10.96" N	73° 22' 53.46" E
17	19° 28' 07.06" N	73° 20' 10.80" E
18	19° 25' 59.30" N	73° 14' 48.90" E

Co-ordinate of Tansa Wildlife Sanctuary		
S.N.	Latitude	Longitude
A	19° 31' 01.89" N	73° 10' 29.48" E
B	19° 37' 07.32" N	73° 09' 41.31" E
C	19° 37' 08.54" N	73° 09' 40.90" E
D	19° 47' 47.52" N	73° 18' 18.24" E
E	19° 44' 50.11" N	73° 24' 17.08" E
F	19° 35' 58.78" N	73° 21' 42.20" E
G	19° 25' 34.19" N	73° 17' 18.44" E

Annexure III**List of Revenue Village falling within Eco Sensitive Zone of Tansa WLS**

Sr. No.	Division	Taluka	Village	GPS Reding	
				Latitude	Longitude
1		2	3	4	5
1	Shahapur	Shahapur	Taharpur	19°32'49.89"N	73°13'41.16"E
2	--do--	--do--	Khoste	9°31'39.42"N	73°14'11.35"E
3	--do--	--do--	Vedavahal	19°31'59.33"N	73°12'19.98"E
4	--do--	--do--	Vehelonda	9°31'37.98"N	73°11'24.61"E
5	--do--	--do--	Savroli kh.	9°31'55.04"N	73°10'41.11"E
6	--do--	--do--	Dimbha	9°32'34.34"N	73°12'12.41"E
7	--do--	--do--	Aghai	19°33'53.65"N	3°14'17.51"E
8	--do--	--do--	Waveghar	9°32'55.78"N	73°15'33.38"E
9	--do--	--do--	Waghivali	19°34'09.42"N	73°12'49.23"E
10	--do--	--do--	Bhavase	19°32'28.47"N	73°14'46.65"E
11	--do--	--do--	Nevre	19°33'38.73"N	73°13'27.98"E
12	--do--	--do--	Khor	9°30'17.87"N	73°14'05.77"E
13	--do--	Bhiwandi	Newade pt.	19°28'06.63"N	73°11'55.38"E
14	--do--	Shahapur	Koshimbade	19°29'39.10"N	73°11'27.73"E

15	Shahapur	Shahapur	Bhorande	19°29'38.50"N	73°13'40.41"E
16	--do--	--do--	Pivali	19°29'42.36"N	73°12'32.65"E
17	--do--	--do--	Vandra	19°28'57.77"N	73°12'53.58"E
18	--do--	--do--	Mahuli	19°28'18.30"N	73°16'07.27"E
19	--do--	--do--	Katbav pt.	19°26'11.82"N	73°14'49.97"E
20	--do--	--do--	Dahagaon pt.	19°25'22.98"N	73°15'29.67"E
21	--do--	--do--	Khativali pt.	19°24'49.00"N	73°16'36.83"E
22	--do--	--do--	Veheloli trf Aghai pt.	19°24'49.83"N	73°17'43.75"E
23	--do--	--do--	Valshet pt.	19°25'24.98"N	73°18'24.07"E
24	--do--	--do--	Asangaon pt.	19°26'30.38"N	73°18'24.10"E
25	--do--	--do--	Savroli bk. Pt.	19°27'23.03"N	73°18'17.06"E
26	--do--	--do--	Shahapur pt.	19°27'08.23"N	73°14'34.31"E
27	--do--	--do--	Awale	19°27'38.00"N	73°17'00.03"E
28	--do--	--do--	Chandroti	19°28'39.53"N	73°17'12.76"E
29	--do--	--do--	Karade	19°28'26.16"N	73°17'34.30"E
30	--do--	--do--	Cherpoli pt.	19°27'51.27"N	73°20'06.76"E
31	Shahapur	Shahapur	Kambare pt.	19°34'19.30"N	73°11'10.09"E
32	--do--	--do--	Awale pt.	19°28'29.86"N	73°20'41.10"E
33	--do--	--do--	Kharivali trf Aghai pt.	19°27'33.03"N	73°21'58.73"E
34	--do--	--do--	Arjunali pt.	19°28'33.26"N	73°22'50.45"E
35	--do--	--do--	Saralambe pt.	19°28'35.58"N	73°23'07.42"E
36	--do--	--do--	Pendharghol pt.	19°29'45.48"N	73°20'07.82"E
37	--do--	--do--	Pundhe pt.	19°29'28.30"N	73°19'35.46"E
38	--do--	--do--	Atgaon pt.	19°30'14.88"N	73°19'28.02"E
39	--do--	--do--	Sakhroli pt.	19°31'13.71"N	73°19'13.71"E
40	--do--	--do--	Kanvinde pt.	19°31'47.30"N	73°19'49.46"E
41	--do--	--do--	Pendhari	19°32'27.50"N	73°19'29.56"E
42	--do--	--do--	Mamnoli	19°28'39.93"N	73°17'56.04"E
43	--do--	--do--	Mohili	19°33'12.34"N	73°14'29.38"E
44	--do--	--do--	Nandgaon trf Aghai	19°32'23.91"N	73°18'34.29"E
45	--do--	--do--	Kalamgaon pt.	19°32'08.66"N	73°20'20.13"E
46	--do--	--do--	Lahe pt.	19°33'21.39"N	73°21'35.51"E
47	--do--	--do--	Umberkhand	19°34'06.80"N	73°22'00.30"E
48	--do--	--do--	Khardi pt.	19°35'16.61"N	73°22'58.35"E
49	--do--	--do--	Ghanepada	19°35'31.55"N	73°22'20.25"E
50	--do--	--do--	Pimpalpada pt.	19°36'07.36"N	73°22'55.85"E
51	--do--	--do--	Ambivali trf Sakurli	19°38'44.73"N	73°19'12.27"E
52	--do--	--do--	Belwad	19°38'53.15"N	73°17'08.25"E
53	--do--	--do--	Bendekon	19°36'12.42"N	73°21'44.28"E
54	--do--	--do--	Palshin	19°36'17.76"N	73°21'13.03"E
55	--do--	--do--	Dudhar	19°35'48.17"N	73°22'20.04"E
56	--do--	--do--	Dahigaon	19°36'38.51"N	73°20'35.43"E
57	--do--	--do--	Tembhe	19°39'26.87"N	73°15'54.59"E
58	--do--	--do--	Varskol pt.	19°36'13.98"N	73°23'10.75"E
59	--do--	--do--	Shirol pt.	19°37'58.34"N	73°24'45.49"E
60	--do--	--do--	Dapur	19°40'12.04"N	73°23'22.52"E
61	--do--	--do--	Ajnup pt.	19°39'06.23"N	73°22'30.92"E
62	--do--	--do--	Mal pt.	19°41'32.20"N	73°27'33.03"E
63	--do--	Mokhada	Kashati	19°43'36.44"N	73°23'06.48"E
64	--do--	--do--	Kochale pt.	19°43'40.10"N	73°25'49.29"E
65	--do--	--do--	Kinista pt.	19°44'10.89"N	73°25'04.91"E
66	Shahapur	Mokhada	Udhale pt.	19°45'11.78"N	73°24'36.64"E
67	--do--	--do--	Sawarda	19°42'00.17"N	73°22'28.91"E
68	--do--	--do--	Washind	19°45'33.95"N	73°22'41.38"E

69	Shahapur	Mokhada	Gomghar pt.	19°46'00.99"N	73°21'56.61"E
70	--do--	--do--	Suryamal	19°45'28.27"N	73°20'48.68"E
71	Jawhar	Wada	Khupari	19°34'18.56"N	73°06'32.76"E
72	--do--	--do--	Lakhmapur	19°35'29.26"N	73°06'17.53"E
73	--do--	--do--	Nehroli	19°36'07.41"N	73°07'10.60"E
74	--do--	--do--	Usar	19°31'30.54"N	73°07'13.15"E
75	--do--	--do--	Kudus	19°32'07.09"N	73° 05'59.07"E
76	--do--	--do--	Kuyalu	19°33'18.71"N	73°11'32.10"E
77	--do--	--do--	Chendavali	19°34'13.32"N	73°11'46.64"E
78	--do--	--do--	Abitghar	19°35'04.62"N	73°10'05.67"E
79	--do--	--do--	Kambare	19°34'19.02"N	73°11'09.84"E
80	--do--	--do--	Goleghar	19°36'06.45"N	73°08'54.13"E
81	--do--	--do--	Chikhale	19°36'11.26"N	73°07'45.81"E
82	--do--	--do--	Kone	19°37'08.33"N	73°08'08.12"E
83	--do--	--do--	Khariwali	19°33'24.80"N	73°05'24.70"E
84	--do--	--do--	Harosale	19°40'20.73"N	73°09'41.41"E
85	--do--	--do--	Tuse	19°37'43.86"N	73°09'45.38"E
86	--do--	--do--	Vilkos	19°38'33.70"N	73°10'53.78"E
87	--do--	--do--	Pimproli	19°38'15.34"N	73°10'53.78"E
88	--do--	--do--	Varai khu.	19°37'31.49"N	73°12'28.64"E
89	--do--	--do--	Varai Bu.	19°38'32.29"N	73°11'48.78"E
90	--do--	--do--	Bilghar	19°38'10.01"N	73°13'24.60"E
91	--do--	--do--	Devgaon	19°33'40.70"N	73°08'18.63"E
92	--do--	--do--	Kasghar	19°39'43.19"N	73°12'13.17"E
93	--do--	--do--	Sonshiv	19°40'06.46"N	73°11'15.33"E
94	--do--	--do--	Mandva	19°42'00.50"N	73°12'34.13"E
95	--do--	--do--	Moj	19°38'03.88"N	73°12'52.78"E
96	--do--	--do--	Savarkhand	19°36'15.38"N	73°09'03.31"E
97	--do--	--do--	Sapronde	19°31'43.04"N	73°06'36.17"E
98	--do--	--do--	Bavli	19°34'39.19"N	73°09'25.79"E
99	--do--	--do--	Shirsad	19°39'20.80"N	73°12'01.19"E
100	--do--	--do--	Dahe	19°41'05.11"N	73°10'32.79"E
101	Jawhar	Wada	Tilgaon	19°33'40.61"N	73°09'29.45"E
102	--do--	--do--	Gale	19°39'25.80"N	73°09'51.79"E
103	--do--	--do--	Sarshi	19°37'40.86"N	73°09'16.24"E
104	--do--	--do--	Tilse	19°39'04.60"N	73°12'36.48"E
105	--do--	--do--	Sonale Bk	19°38'33.13"N	73°13'54.66"E
106	--do--	--do--	Sonale kh	19°38'59.30"N	73°14'05.98"E
107	--do--	--do--	Ko.Sarovar	19°40'58.15"N	73°14'43.00"E
108	--do--	--do--	Shela	19°40'21.63"N	73°13'44.31"E
109	--do--	--do--	Dhapad	19°40'29.15"N	73°13'04.83"E
110	--do--	--do--	D.Kumbhiste	19°42'13.50"N	73° 10'53.93"E
111	--do--	--do--	Maniwali	19°42'23.52"N	73° 9'7.02"E
112	--do--	--do--	Kalambhe	19°39'36.21"N	73° 15'01.14"E
113	--do--	--do--	Kevnale	19°47'58.32"N	73°16'57.48"E
114	--do--	--do--	Akhada	19°47'58.32"N	73°16'57.48"E
115	--do--	--do--	Vadavali	19°48'30.02"N	73°16'14.84"E
116	--do--	--do--	Ujjaini	19°47'13.51"N	73°15'02.17"E
117	--do--	--do--	Virhe	19°40'29.15"N	73°13'04.83"E
118	--do--	--do--	Pinjal	19°46'12.90"N	73°11'38.43"E
119	--do--	--do--	Mangrol	19°45'23.19"N	73°13'45.68"E
120	--do--	--do--	Dhadhara	19°40'4.81"N	73°15'14.97"E

121	Jawhar	Wada	Nishet	19°39'32.25"N	73°15'41.25"E
122	--do--	--do--	Gargaon	19°44'49.68"N	73°12'25.22"E
123	--do--	--do--	Pik	19°43'56.61"N	73°09'57.09"E
124	--do--	--do--	Parali	19°42'35.28"N	73°15'37.57"E
125	--do--	--do--	Shilottar	19°44'14.75"N	73°10'47.75"E
126	--do--	--do--	Varsale	19°45'38.33"N	73°14'6.10"E
127	--do--	--do--	Paste	19°43'30.13"N	73°09'01.20"E
128	--do--	--do--	Sasne	19°43'00.00"N	73°08'10.04"E
129	--do--	Mokhada	Botoshi	19°48'29.27"N	73°23'51.26"E
130	--do--	--do--	Kurlod	19°48'42.49"N	73°23'29.69"E
131	Thane	Bhiwandi	Vape	19° 29' 22.79"	73° 10' 26.52"
132	--do--	--do--	Ghotavade	19° 28' 51.59"	73° 10' 04.84"
133	--do--	--do--	Chichvali	19° 29' 13.30"	73° 08' 42.16"
134	--do--	--do--	Mainde	19° 28' 51.68"	73° 10' 05.17"
135	--do--	--do--	Kelhe	19° 27' 34.59"	73° 12' 15.40"
136	Thane	Bhiwandi	Khanivali	19° 25' 18.81"	73° 13' 17.40"
137	--do--	--do--	Sagaon	19° 30' 52.04"	73° 08' 59.21"
138	--do--	--do--	Eksal	19° 30' 27.46"	73° 08' 17.38"
139	--do--	--do--	Devchole	19° 30' 40.71"	73° 10' 01.78"
140	--do--	--do--	Kunde	19° 28' 49.28"	73° 07' 06.40"
141	--do--	--do--	Karmale	19° 27' 55.42"	73° 08' 01.05"
142	--do--	--do--	Base	19° 27' 51.23"	73° 09' 05.60"
143	--do--	--do--	Newade	19° 27' 22.08"	73° 12' 02.73"
144	--do--	--do--	Pachhapur	19° 27' 44.17"	73° 10' 26.20"
145	--do--	--do--	Mohandule	19° 25' 15.75"	73° 11' 42.06"

Annexure-IV

Proforma of Action Taken Report:—Eco-sensitive Zone monitoring Committee.—

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Eco-Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 .Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.